



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55130

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3777/2026

संजीव कुमार सागर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: दिनेश कुमार

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

- कार्यालय आख्या दि० 10.03.2026 के अनुसार, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र की नोटिस प्रतिपक्षी सं० 2/सूचक को व्यक्तिशः तामील की जा चुकी है। तथापि, प्रतिपक्षी सं० 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल किया गया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
- सूची पुनरीक्षित वर्तमान आपराधिक विविध जमानत आवेदन, आवेदक संजीव कुमार सागर की ओर से मु.अ.सं० 282/2025, अन्तर्गत धारा 137(2), 65(1), 143 बी.एन.एस. एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, थाना- जहानाबाद, जिला- पीलीभीत में विचारण की लम्बित अवधि के दौरान जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में गलत एवं फर्जी ढंग से फंसाया गया है। कथित घटना दि० 05.05.2025 को घटित हुई बताई जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण हेतु धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत आवेदन दि० 20.05.2025 को दाखिल किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दि० 11.07.2025 को दर्ज की गई। धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत आवेदन दाखिल करने में विलम्ब अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। पीड़िता दि० 14.05.2025 को बरामद हुई। इसके अतिरिक्त, पीड़िता वयस्क है। पीड़िता के माता-पिता ने जीवन में लाभ दिलाने के उद्देश्य से उसकी आयु विद्यालय के अभिलेखों में गलत तरीके से पंजीकृत कराई। विद्यालय के अभिलेखों में पीड़िता की आयु सम्बन्धी प्रविष्टि का कोई विधिक आधार नहीं है। पीड़िता ने धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अपने कथनों में कहा कि लगभग नौ माह पूर्व सह-अभियुक्त उमेश भारती ने उसे बुखार की दवाई देने के बहाने नशीला पदार्थ खिलाया था। यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। आगे, धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पीड़िता के कथनों पर निर्भरता रखते हुए यह तर्क दिया गया कि पीड़िता को बरेली एवं बिहार/बंगाल रेल द्वारा ले जाया गया, किन्तु उसने कोई विरोध या शोर नहीं किया। पीड़िता के आचरण से परिलक्षित होता है कि वह सहमति वाली पक्षकार थी। आवेदक दि० 11.07.2025 से कारागार में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत प्रदान किये जाने की दशा में वह उक्त स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे अभिलेख से उपरोक्त कथनों को सन्तोषजनक ढंग से विवादित नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनकर और अभिलेख का परिशीलन करने के उपरान्त, इस न्यायालय को प्रथम दृष्टि में यह परिलक्षित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण हेतु धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया। पीड़िता ने धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अपने कथनों में कहा कि लगभग नौ माह पूर्व सह-अभियुक्त उमेश भारती ने उसे बुखार की दवाई देने के बहाने नशीला पदार्थ खिलाया था, किन्तु यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता को बरेली एवं बिहार/बंगाल रेल

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा ले जाया गया, किन्तु उसने कोई विरोध या शोर नहीं किया। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक वर्तमान में आठ माह से अधिक अवधि से निरुद्ध है और विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है, विशेषकर जब राज्य द्वारा यह कोई युक्तियुक्त आशंका सामने नहीं लाई गई कि जमानत पर मुक्त होने की दशा में आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा साक्षी को भयभीत करेगा, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने का हकदार है।

7. आवेदक-संजीव कुमार सागर, जो उपरोक्त अपराध प्रकरण में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

- i. आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।
- iii. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दायर करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

18 मार्च, 2026